# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

**पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS**

प्रकरण सं. 196/2016 वाद

1. सरोज बाई पत्नी नरेन्द्र कुमार लोट, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. मोहनलाल पिता नारायणलाल जटिया मृतक के बजाय—
   2/1— बालुलाल पिता मोहनलाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी घटियावली, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
   2/2— रतनी बाई पुत्री मोहनलाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी घटियावली, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
3. ईश्वरलाल पिता मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
4. रामु बाई पुत्री मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
5. लता पुत्री मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
6. किरण पुत्री मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
7. मन्जु पुत्री मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
8. मु. कमला बाई बेवा मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।

— वादीगण

//बनाम//

1. तुलसीराम पिता बोतलाल भील, निवासी खेडा जदीद, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. प्रकाश पिता बोतलाल भील, निवासी खेडा जदीद, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. किशनलाल पिता बोतलाल भील, निवासी खेडा जदीज, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

**दावा**

**अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.**

**श्री रामचन्द्र धाकड़, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित**

**श्री राधेश्याम धाकड़, अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**निर्णय** **दिनांक 14.09.2020**

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88—188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण के अलग अलग स्वामित्व, आधिपत्य व उपयोग उपभोग की भूमि वाके मौजा सगवाडिया की पुरानी आराजी नं. 195 स्थित है। इसमें में अलग अलग समय में वादीगण की खातेदारी में दर्ज हुई। वादी संख्या 1 की खातेदारी में आराजी नं. 231/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि

जिसके नवीन खाता संख्या 168 की आराजी नं. 403 रकबा 1.1800 हैक्टेयर है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 की आराजी नं. 274/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके नवीन खाता संख्या 126 की आराजी नं. 404 रकबा 1.1800 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 3 से 8 की आराजी नं. 323/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके नवीन खाता संख्या 8 की आराजी नं. 410 रकबा 1.1800 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी नं. 195 अविभाजित थी जिसमें नक्शा ट्रेस में कोई अंकन नहीं था। नवीन सेटलमेण्ट में मौके अनुसार काश्त नहीं हो पा रही है। वादीगण एक दुसरे की खातेदारी वाली आराजीयात पर काबिज काश्त हैं। वादीया सरोज बाई के राजस्व रेकार्ड में आराजी नं. 403 रकबा 1.1800 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है परन्तु मौके पर कब्जा नवीन आराजी नं. 404 रकबा 1.1800 हैक्टेयर पर है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 के नाम आराजी नं. 404 रकबा 1.1800 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है परन्तु कब्जा राजकीय बिलानाम भूमि 405 व 407 के रकबा 1.1800 हैक्टेयर पर है। इसी प्रकार वादी संख्या 3 से 8 के नाम खातेदारी में आराजी नं. 410 दर्ज रेकार्ड है परन्तु कब्जा वादीया की खातेदारी वाली आराजी नं. 403 पर है। आराजी नं. 410 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है जो मौके से हटाया जाकर राजकीय भूमि घोषित की जावे। इसी अनुसार कब्जे अनुसार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा स्वीकार किया की वादीगण द्वारा वर्णित आराजीयात का पुराने नक्शे में कहीं इन्द्राज नहीं था। वादीगण अपनी अपनी आराजी को राजस्व रेकार्ड व मौके पर कब्जे अनुसार अंकित करावें तो प्रतिवादीगण को कोई उजर एतराज नहीं है। आराजी नं. 410 पर प्रतिवादीगण का कदीम से कब्जा चला आ रहा है जो प्रतिवादीगण के पिता की खातदेारी में दर्ज है तथा 5 बीघा आराजी प्रतिवादीगण द्वारा खरीदी गई थी जो डालू पिता देवा बलाई साकिन निम्बाहेड़ा से खरीदी थी। इससे लगी हुई कुछ सरकारी भूमि पर पेनल्टी व जुर्माना भी प्रतिवादीगण द्वारा भरा जा रहा है। वादीगण का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण के वैध व जायज कब्जे में दखल देने के अधिकारी नहीं है। वादीगण कब्जे अनुसार अपनी अपनी आराजीयात को अपने नाम दर्ज करावें तो कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा खारीज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 15:26:35 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने जवाब में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि ग्राम सेमवाड़िया की आराजी नं. 403 रकबा 1.1800 हैक्टेयर भूमि पर वादी संख्या 1 का कब्जा है, आराजी नं. 404 पर वादी संख्या 1 का कब्जा है आराजी नं. 405मी के रकबा 0.8000 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 407 में से रकबा 0.3800 हैक्टेयर पर वादी संख्या 2 का कब्जा है।

वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1– तनकी नं. 1ः– आया वाद पत्र की कलम नं. 1 में वर्णित आराजीयात वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है?

– जिम्मे वादीगण

2– तनकी नं. 2ः– आया वादग्रस्त आराजीयात सेटलमेण्ट होने की वजह से राजस्व रेकार्ड में नक्शे में मौके के कब्जे अनुसार दर्ज नहीं होने से वादीगण अपनी आराजी मौके के कब्जे अनुसार नक्शे में इन्द्राज कराने के अधिकारी हैं?

– जिम्मे वादीगण

3– तनकी नं. 3ः– आया वादी दो विवादग्रस्त आराजी नं. 405 व 407 पर उसका कदीम से कब्जा होने से उसके नाम से खातेदारी व नक्शा ट्रेस में अंकित कराने का अधिकारी है?

– जिम्मे वादीगण

4– तनकी नं. 4ः– आया जवाबदावा की कलम नम्बर 2 में अंकित आराजी नं. 410 व उसके पडोसों के बीच की आराजीयात प्रतिवादीगण के कब्जे की है?

– जिम्मे प्रतिवादीगण

5– अनुतोष।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम सगवाड़िया की खाता संख्या 1 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सवंत 2070–73 ग्राम सगवाड़िया की खाता संख्या 168 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम सगवाड़िया की खाता संख्या 126 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 ग्राम सगवाड़िया की खाता संख्या 8 प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल ग्राम सगवाड़िया प्रदर्श–5, हाल नक्शा ट्रेस ग्राम सगवाड़िया प्रदर्श–6, साबिक नक्शा ट्रेस ग्राम सगवाड़िया प्रदर्श–7 प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मौखिक साक्ष्य में वादीगण की और से ईश्वरलाल पिता मोहनलाल मोची पीडब्ल्यु–1, मांगीलाल पिता रामलाल पीडब्ल्यु–2, देवीलाल पिता नन्दा भील पीडब्ल्यु–3 तथा रामेश्वरलाल पिता मांगीलाल धाकड़ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा पीडब्ल्यु 1 से 3 के बयान करवाये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी प्रकाश पिता बोतलाल डीडब्ल्यु–2 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और बयान करवाये हैं। साक्ष्य व गवाही के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

1– तनकी नं. 1ः– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने पक्ष की तनकी को साबित करने के लिए प्रदर्श–2 से 4 ग्राम सगवाडिया की हाल नकल जमाबन्दीयां प्रस्तुत की है। प्रदर्श–2

अनुसार खाता संख्या 168 की भूमि वादी संख्या 1 सरोज बाई के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार प्रदर्श–3 अनुसार खाता संख्या 3 की आराजीयात वादी संख्या 2 के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–4 अनुसार खाता संख्या 8 की भूमि वादी संख्या 3 से 8 के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार वादीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार को अपने खातेदारी भूमि पर सभी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने का पूर्णकानूनी अधिकार है। इसलिए वादीगण की खातेदारी निर्विवाद है। परन्तु कब्जे के सम्बन्ध में वादीगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे एक दुसरे की आराजीयात पर काबिज काश्त हैं तथा एक हिस्सा राजकीय भूमि का भी है। इस प्रकार वादीगण विवादित भूमि के खातेदार तो हैं परन्तु अपने अपने खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त नहीं हैं। इसलिए तनकी नं. 1 वादीगण निर्विवाद रूप से साबित नहीं कर सके हैं। अतः तनकी नं. 1 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

2– तनकी नं. 2:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही है। वादीगण ने इस तनकी को साबित करने के लिए प्रदर्श– 5 से प्रदर्श– 7 मिलान क्षेत्रफल तथा पुराना व नवीन नक्शा ट्रेस ग्राम सगवाड़िया का प्रस्तुत किया है। साबिक नक्शा ट्रेस में आराजी नं. 195 में किसी खातेदार की आराजीयात का तरमीम नहीं है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में सभी खातेदार के हिस्से तरमीम है परन्तु पक्षकारान में से कोई भी अपने तरमीम हिस्से पर काबिज नहीं है। वादीगण कब्जे के आधार पर अपना अपना हिस्सा घोषित कराना चाहते हैं परन्तु राजकीय भूमि आराजी नं. 405 व 407 पर किस आधार पर काबिज हैं तथा किस प्रकार से राजकीय भूमि को खातेदारी घोषित की जावे, इसका कोई पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में तनकी नं. 2 भी वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी नं. 2 भी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

3– तनकी नं. 3:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही है। वादीगण पूर्व में तनकी नं. 1 व 2 में अपने पक्ष को साबित करने में असफल रहे हैं। मात्र मौखिक कथनों के आधार पर वादीगण का राजकीय भूमि पर कब्जा माना जाना सम्भव नहीं है। ना ही वादीगण ने उक्त कब्जे का कोई आधार प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में तनकी नं. 3 भी वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:20:35 IST
Reason: SelfAttested

4– तनकी नं. 4:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के जिम्मे हैं। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिरह के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया है कि उनका कब्जा 6 बीघा भूमि पर है जबकि खातेदारी में डेढ बीघा भूमि ही है। 5 बीघा जमीन खरीदशुदा होना बताया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है परन्तु खरीद की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। प्रतिवादीगण ने अपना कब्जा सरकारी भूमि पर बताया तथा वादीगण का कब्जा अपनी अपनी भूमि पर बताया है। साथ ही प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि अपने पक्ष को साबित करने के लिए प्रतिवादीगण ने कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य, जमाबन्दी, रजिस्ट्री, स्टाम्प आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं। यहां तक की प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में कोई निष्पक्ष गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण अपना पक्ष साबित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी नं. 4 का निर्णय खिलाफ प्रतिवादीगण तय किया जाता है।

निष्कर्षः–

उपर्युक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण साबिक आराजी नम्बर 195 के खातेदार होकर वक्त आवंटन से अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होना बताते हैं परन्तु साबिक नक्शा ट्रेस में किसी खातेदार का हिस्सा तरमीम नहीं है। मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीगण राजकीय भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते हैं। इसी प्रकार आराजी नं. 403 के खातेदार आराजी नं. 404 पर काबिज हैं, आराजी नं. 404 के खातेदार आराजी नं. 410 पर तथा आराजी नं. 410 के खातेदार राजकीय बिलानाम भूमि आराजी नं. 405, 407 पर काबिज होना बताकर इसी अनुसार घोषणा की सहायता चाहते हैं। परन्तु उक्त सहायता हेतु कोई विधिक साक्ष्य या पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। वादीगण अपने पक्ष को साबित नहीं कर सके हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा खारीज योग्य है।

अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 14.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

**मूल वाद में अन्तिम डिक्री**

# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

**पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS**

प्रकरण सं. 196/2016 वाद

1. सरोज बाई पत्नी नरेन्द्र कुमार लोट, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. मोहनलाल पिता नारायणलाल जटिया मृतक के बजाय—
   2/1— बालुलाल पिता मोहनलाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी घटियावली, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
   2/2— रतनी बाई पुत्री मोहनलाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी घटियावली, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
3. ईश्वरलाल पिता मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
4. रामु बाई पुत्री मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
5. लता पुत्री मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
6. किरण पुत्री मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
7. मन्जु पुत्री मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
8. मु. कमला बाई बेवा मोहन मोची, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।

— वादीगण

//बनाम//

1. तुलसीराम पिता बोतलाल भील, निवासी खेडा जदीद, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. प्रकाश पिता बोतलाल भील, निवासी खेडा जदीद, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. किशनलाल पिता बोतलाल भील, निवासी खेडा जदीज, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

**दावा**

**अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.**

**प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ की तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम धाकड़ की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि** वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है।

**यह आज तारीख 14.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा